तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा निमाज चक 1 मे स्थित्त कृषि भूमि की विवादित संयुक्त व कब्जे काश्त आराजी कृषि भूमि के खसरा नं. 59 रकबा 10=04 बीघा चा0चा0 विवादित आराजी भूमि में किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करने तथा अन्य किसी को बेचान, हस्तान्तरण आदि न करने हेतु गै0सा0 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायलान तलबाना एवं नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्द दिनांक 23.04.2015 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO
23-04-15	वकील सायल उपस्थित। गैरसायल सं. 1 से 5 तथा 7 व 8 को बावजूद तामील/बावजूद बार बार आवाज दिलाने जाने पर भी अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। गैरसायल सं. 6 के वास्ते प्रार्थना पत्र पेश करने का समय चाहते हैं समय दिया जाता है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 28-04-2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO
28/4/15	राज्य सरकार/जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय निमाज अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 5/6/15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5/6/15	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र निमाज पेश हुई वकील वादी उप. पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि सायल/गैरसायल रजिस्टर्ड खातेदार काश्तकार हैं सायल के पक्ष में दिनांक 18/3/15 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है अतः दिनांक 18/3/15 के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल वाद तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद मूल वाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर) SDO

Scanned by CamScanner